न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :—98 / 2021

मलकीतसिंह पुत्र उजागरसिंह जाति जटसिख निवासी 15 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर हाल आबाद 14 ए.पी.डी. (ए) कमरानिया तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..... वादी

बनाम

1. गोदावरी देवी पत्नी किशनलाल जाति जाट निवासी दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण

1. श्री सुमेरमल स्वामी विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णय:— दिनांक :—

उक्त वादपत्र वादी की ओर अधिवक्ता सुमेरमल स्वामी ने अन्तर्गत धारा 183 आरटीएक्ट के तहत् प्रस्तुत किया है वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि वादी की खाजूवाला तहसील के चक 9 पी.आर.एम. के मुरब्बा नं0 36 / 26 के किला नं0 18 / 2 में 0.1012 हैक्टर, 19 / 2 में 0.0632 हैक्टर, 20 / 4 में 0.0126 हैक्टर, 21 / 2 में 0.2276 हैक्टर, 22 में 0.2529 हैक्टर कुल 0.6575 हैक्टर खातेदारी भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 की खाजूवाला के क 9 पी.आर.एम. के मुरब्बा नं0 36 / 27 के किला नं0 1, 4 ता 7, 10, 11, 15, 16, 21, 25 में कुल 2.9083 हैक्टर खातेदारी भूमि है। वादी के मुरब्बा नं0 3[illegible] के किला नं0 [illegible] 11, 20, 21 में कटानशुदा सरकारी रास्ता है, जो भारतमाला सड़क को [illegible] हुए आगे जाता है। प्रतिवादी सं0 1 ने मुरब्बा नं0 36 / 27 के किला नं0 1 [illegible] की फैक्ट्री लगी रखी है। प्रतिवादी सं0 1 ने वादी की [illegible] की भूमि के किला [illegible] में स्वीकृत रास्ते के अलावा अलग से किला नं0 21 [illegible] किला नं0 22 के चि[illegible] जिप्सम फैक्ट्री में आने जाने का रास्ता बना लिया व किला नं0 21 में फैक्ट्री का विद्युत ट्रांसफार्मर लगवा लिया है, और किला नं0 22 में जिप्सम फैक्ट्री में जलाने के लिए सरसों का पल्लर (कचरा) डाल रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:03:52 IST
Reason: Self Attested

वादी ने वादपत्र में निवेदन किया है कि मु0नं036/26 के किला नं0 21 मे किला नं0 22 के चिपता, नाजायज रास्ता का उपयोग नहीं करें एवं किला नं0 21 प्रतिवादी सं0 1 द्वारा बनाये रास्ते को बन्द किया जावे, प्रतिवादी सं0 1 के मुरब्बा नं0 36/27 के किला नं0 1 मे लगाई जिप्सम फैक्ट्री के लिए वादी के मुरब्बा नं0 36/26 के किला नं0 21 में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर को हटाकर प्रतिवादी सं0 1 अपनी भूमि मु0नं0 36/27 के किला नं0 1 में अपने खर्चा से लगवाए, प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि मुरब्बा नु0 36/26 के किल नं0 22 में सरसों का पल्लर डाला हुआ है, उसको हटाया जावे की इस्तदुआ चाही है।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 24.9.21 को प्रतिवादी सं0 1 बावजूद तलवी उपस्थित नहीं आने पर इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक 1836 दिनांक 24.01.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो मूल ही तहसीलदार खाजूवाला को भेजकर पुनः विस्तृत रिपोर्ट नक्शा सहित चाही गई कि मु0नं0 36/26 के किला नं0 21/2, 22 की हद भारतमाला सड़क के केन्द्रबिन्दु से कितनी दूरी पर है, और गोदावरी देवी द्वारा कितनी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक 249 दिनांक 14.03.2022 को उक्त रिपोर्ट प्राप्त हुई। नक्शा रिपोर्ट दिनांक 24.01.22 व 14.3.22 के मुताबिक भारतमाला सड़क के दक्षिण तरफ, किला नं0 21/2 की पूर्वी सीमा सड़क के मध्य से 148 फीट तथा पश्चिमी सीमा सड़क के मध्य से 129 फीट की दूरी तक है। इसी तरह किला नं0 22, मध्य से 184 फीट तक है तथा मु0नं0 36/27 के काश्तकार गोदावरीदेवी पत्नी किशनलाल द्वारा किला नं0 21/2 में 7X8 फीट जगह में विद्युत ट्रांसफार्मर बनाकर कब्जा किया हुआ है। मु0नं0 36/27 के किला नं0 1 में पहुॅचने के लिए किला नं0 21/2 में से होकर रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अलावा किला नं0 21/2 व 22 खाली है।

अदालत द्वारा दिनांक 24.3.22 को उपरोक्त रिपोर्ट व वादपत्र के तथ्यों पर गौर करने के बाद समाधान हुआ कि गोदावरी देवी द्वारा चक 9 पीआरएम के मु0नं0 36/26 के किला नं0 21/2 में विद्युत ट्रांसफार्मर बनवाकर अनाधिकृत कब्जा किया है। वादी का यह भी कथन है कि किला नं0 22 में भी सरसों का पल्लर डालकर अवैध कब्जा किया गया है, तो अदालत ने दिनांक 24.3.22 को धारा 183 आरटीएक्ट के तहत प्रतिवादी सं0 को आदेश दिया कि 15 दिन में किला नं0 21/2 में बनाए गए अवैद्य ट्रांसफार्मर को हटा लें नहीं तो ट्रांसफार्मर बिजली विभाग के जरिये हटवा दिया जाएगा तथा प्रतिवादी सं0 1 को पाबंद कि किला नं0 21/2 व 22 में किसी तरह का हस्तक्षेप न करे व हदें ऊपर स्पष्ट है। प्रतिवादी सं0 1 को जरिए पटवारी आदेश की प्रति Serve करवाई जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:03:52 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादी द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया साथ ही यह भी निवेदन किया कि न्यायालय हाजा के आदेश के बावजूद प्रतिवादी सं0 1 ने आदेश दिनांक 24.3.22 की भी पालना नहीं की है तथा जानबूझकर अदालत में हाजिर नहीं आ रहा है। अपने वादपत्र को साबित करने के पक्ष में तहसीलदार नक्शा रिपोर्ट दिनांक 24.01.22 व 14.3.22 को साक्ष्य/सबूत के तौर मानते हुवे प्रदर्श के रूप पढ़ा जाकर वादपत्र स्वीकार का निवेदन किया। अतः तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 14.3.22, नक्शा दिनांक 14.3.22 व रिपोर्ट दिनांक 24.01.22 को क्रमशः प्रदर्श 1–3 पढ़ा गया।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट मय नक्शा तहसीलदार खाजूवाला दिनांक 24.01.2022 व 14.3.22 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादी द्वारा चाहा गया निम्नलिखित बिन्दुवार अनुतोष है :–

1. प्रतिवादी सं0 1 वादी के मु0नं0 36/26 के किला नं0 21 स्वीकृत रास्ता से आना जाना करें और किला नं0 21 में किला नं0 22 के चिपता, नाजायज रास्ता का उपयोग नहीं करें एवं उक्त नाजायज रास्ता को बन्द करें।
2. प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी की कृषि भूमि मु0नं0 36/26 के किला नं0 21 में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर हटाया जावें।
3. प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादी की कृषि भूमि मु0नं0 36/26 के किला नं0 22 में जा सरसों का पल्लर डाला हुआ है, उसको वादी के किला नं0 22 से हटाया जावे।

उपरोक्त तीनों बिन्दु में चाहे गये अनुतोष तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट व प्रदर्श 1–3 के आधार पर वादपत्र स्वीकार करते हुवे अनुतोष दिलाया जाना न्यायसंगत है ।

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी सं0 1 को आदेश दिया जाता है कि वह (प्रतिवादी सं0 1) वादी के किला नं0 21 में स्वीकृत रास्ते के अलावा नाजायज बनाए रास्ते का उपयोग नहीं करें साथ ही इस नाजायज रास्ते को बंद करें, वह (प्रतिवादी सं0 1) वादी के कृषि भूमि के किला नं0 21 में लगाए उपरोक्त वर्णित ट्रांसफार्मर को 15 दिवस में हटा लेवें, उसके(प्रतिवादी सं0 1) द्वारा यदि वादी के किला नं0 22 वर्तमान में उपरोक्त वर्णित सरसों का पल्लर डाला हुआ है तो उसे हटा लेवें। तहसीलदार उक्त आदेश की पालना करवावें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:03:52 IST
Reason: SelfAttested

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)